



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1556]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2014/श्रावण 10, 1936

No. 1556]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2014/SHRAVANA 10, 1936

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1986(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ छठवां संशोधन नियम, 2014 है।  
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,—
  - (1) प्रथम अनुसूची में,—
    - (क) "11. पर्यावरण और वन मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:—  
"11. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय";
    - (ख) "32. पोत परिवहन मंत्रालय" शीर्षक के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—  
"33. कौशल विकास, उद्यमशीलता, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय।

(i) कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग

- (ii) युवक कार्यक्रम विभाग
- (iii) खेल विभाग";

(ग) "41. जल संसाधन मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"41. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय";

(घ) "42. युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय" शीर्षक और उसके अधीन के उप-शीर्षकों का लोप किया जाएगा;

(2) द्वितीय अनुसूची में,—

(क) "पर्यावरण तथा वन मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय";

(ख) इस प्रकार प्रतिस्थापित "पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,—

(i) प्रविष्टि 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"8. गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को छोड़कर नदियों का संरक्षण, विकास, प्रबंधन और प्रदूषण का उपशमन।

8क. राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय।";

(ii) प्रविष्टि 36 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"36क. जलवायु परिवर्तन और उससे संबंधित अन्य सभी मामले।";

(ग) "वित्त मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "क. आर्थिक कार्य विभाग" उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 81क और 81ख का लोप किया जाएगा।;

(घ) "पोत परिवहन मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 5 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"5क. पोत भंजन।";

(ङ) "पोत परिवहन मंत्रालय" शीर्षक, और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक, उप-शीर्षक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"कौशल विकास, उद्यमशीलता, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

क. कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग

1. उपयुक्त कौशल विकास ढांचा तैयार करने हेतु सभी संबंधितों के साथ समन्वय, विद्यमान नौकरियों के लिए ही नहीं अपितु आगे सृजित की जाने वाली नौकरियों के लिए भी व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, नई दक्षता बनाने, नवाचारी सोच और प्रतिभाओं की मार्फत कुशल जनशक्ति में मांग और पूर्ति के बीच अंतर को हटाना।

2. विद्यमान कौशलों की मैपिंग और उनका प्रमाणीकरण।

3. शैक्षिक संस्थाओं, व्यापारिक और अन्य सामुदायिक संगठनों के बीच सुदृढ़ भागीदारी स्थापित करके युवक उद्यमशीलता शिक्षा और क्षमता का विस्तार और इसके लिए राष्ट्रीय मानक स्थापित करना ।
4. कौशल विकास संबंधी समन्वय की भूमिका ।
5. बाजार संबंधी अनुसंधान करना तथा महत्वपूर्ण सेक्टरों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करना ।
6. उद्योग-संस्थान संपर्क ।
7. इस क्रियाकलाप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का घटक लाना - कुशल जनशक्ति की आवश्यकता वाले उद्योग के साथ भागीदारी ।
8. बाजार की अपेक्षाओं तथा कौशल विकास के संबंध में अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए व्यापक नीतियां बनाना ।
9. सॉफ्ट स्किल्स के लिए नीतियां बनाना ।
10. कंप्यूटर शिक्षा ।
11. कौशल समुच्चयों के अकादमिक समकक्ष ।
12. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों संबंधी कार्य ।
13. (i) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ।  
(ii) राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण ।  
(iii) राष्ट्रीय कौशल विकास न्यास ।

#### ख. युवक कार्यक्रम विभाग

1. युवा कार्य/युवा नीति ।
2. नेहरू युवा केन्द्र संगठन ।
3. राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर स्कीम ।
4. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान ।
5. ग्रामीण युवा और क्रीडा क्लबों को दी जाने वाली सहायता संबंधी स्कीम ।
6. राष्ट्रीय युवा आयोग ।
7. राष्ट्रीय सेवा स्कीम ।
8. स्वयंसेवी युवा संगठन, जिनके अंतर्गत उनको दी जाने वाली वित्तीय सहायता भी है ।
9. राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवी स्कीम ।
10. राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक ।
11. युवा कल्याण क्रियाकलाप, युवा उत्सव, वर्क कैम्प, आदि ।
12. न्वाय-स्काउट और गर्ल-गाइड ।
13. युवा हॉस्टल ।

14. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार ।
15. भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम का दृवशिष्ट कार्य ।
16. विदेशों के साथ युवा प्रतिनिधिमंडल का आदान-प्रदान।

### ग. खेल विभाग

1. क्रीडा नीति ।
2. क्रीडा और खेल ।
3. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि ।
4. नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीडा संस्थान ।
5. भारतीय क्रीडा प्राधिकरण ।
6. भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन और राष्ट्रीय खेल परिसंघ से संबंधित मामले ।
7. विदेशों में टूर्नामेंट में भारतीय क्रीडा टीमों द्वारा भाग लेना और भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में विदेशी क्रीडा टीमों द्वारा भाग लेना ।
8. राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार, जिसके अंतर्गत अर्जुन पुरस्कार भी हैं ।
9. क्रीडा छात्रवृत्तियां ।
10. विदेशों के साथ खिलाड़ियों, विशेषज्ञों और टीमों का आदान-प्रदान ।
11. क्रीडा अवसंरचना, जिसके अंतर्गत ऐसी अवसंरचना के सृजन और विकास के लिए वित्तीय सहायता भी है ।
12. कोचिंग, टूर्नामेंट, उपस्कर, आदि के लिए वित्तीय सहायता ।
13. संघ राज्य-क्षेत्रों से संबंधित क्रीडा मामले ।
14. शारीरिक शिक्षा।";

- (च) "इस्पात मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 1 में, "पोत मंजन सहित" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (छ) "जल संसाधन मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—  
"जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय";
- (ज) इस प्रकार प्रतिस्थापित "जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,—
- (i) प्रविष्टि 1 में, "जल के विविध उपयोगों" शब्दों के पश्चात्, "और नदियों को आपस में जोड़ना" शब्द जोड़े जाएंगे;

(ii) प्रविष्टि 30 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"30क. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण जिसके अंतर्गत मिशन निदेशालय, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन और गंगा संरक्षण से संबंधित अन्य मामले भी हैं।

30ख. गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का संरक्षण, विकास, प्रबंधन और प्रदूषण का उपशमन।";

(ज) "युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय" शीर्षक, उसके अधीन उप-शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।"

प्रणब मुखर्जी

राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/9/2014-मंत्रि.]

संयुक्ता राय, निदेशक

### CABINET SECRETARIAT

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

**S.O. 1986(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Sixth Amendment Rules, 2014.
- (2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—
  - (1) in THE FIRST SCHEDULE,—
    - (a) for the heading "11. Ministry of Environment and Forests (Paryavaran aur Van Mantralaya)", the following heading shall be substituted, namely :—
 

"11. Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Paryavaran, Van aur Jalvaayu Parivartan Mantralaya)";
    - (b) after the heading "32. Ministry of Shipping (Pot Parivahan Mantralaya)", the following heading and sub-headings shall be inserted, namely :—
 

"33. Ministry of Skill Development, Entrepreneurship, Youth Affairs and Sports (Kaushal Vikas, Udyamshilta, Yuvak Karyakram aur Khel Mantralaya).

      - (i) Department of Skill Development and Entrepreneurship (Kaushal Vikas aur Udyamshilta Vibhag)
      - (ii) Department of Youth Affairs (Yuvak Karyakram Vibhag)
      - (iii) Department of Sports (Khel Vibhag)";
    - (c) for the heading "41. Ministry of Water Resources (Jal Sansadhan Mantralaya)", the following heading shall be substituted, namely :—

“41. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (Jal Sansadhan, Nadi Vikas aur Ganga Sanrakshan Mantralaya)”;

- (d) the heading “42. Ministry of Youth Affairs and Sports (Yuvak Karyakram aur Khel Mantralaya)” and sub-headings thereunder, shall be omitted.

(2) in THE SECOND SCHEDULE,-

- (a) for the heading “MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PARYAVARAN TATHA VAN MANTRALAYA)”, the following heading shall be substituted, namely :—

“MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (PARYAVARAN, VAN AUR JALVAAYU PARIVARTAN MANTRALAYA)”;

- (b) under the heading “MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (PARYAVARAN, VAN AUR JALVAAYU PARIVARTAN MANTRALAYA)” as so substituted,—

- (i) for the entry 8, the following entries shall be substituted, namely :—

“8. Conservation, development, management and abatement of pollution of rivers excluding the river Ganga and its tributaries.

8A. National River Conservation Directorate.”;

- (ii) after the entry 36, the following entry shall be inserted, namely :—

“36A. Climate change and all other matters related thereto.”;

- (c) under the heading “MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS (ARTHIK KARYA VIBHAG)”, entries 81A and 81B shall be omitted.;

- (d) under the heading “MINISTRY OF SHIPPING (POT PARIVAHAN MANTRALAYA)”, after the entry 5, the following entry shall be inserted, namely :—

“5A. Ship breaking.”;

- (e) after the heading “MINISTRY OF SHIPPING (POT PARIVAHAN MANTRALAYA)”, and entries relating thereto, the following heading and sub-headings and entries shall be inserted, namely:—

“MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT, ENTREPRENEURSHIP, YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (KAUSHAL VIKAS, UDYAMSHILTA, YUVAK KARYAKRAM AUR KHEL MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (KAUSHAL VIKAS AUR UDYAMSHILTA VIBHAG)

1. Coordination with all concerned for evolving an appropriate skill development framework, removal of disconnect between the demand for and supply of skilled manpower through vocational and technical training, skill up-gradation, building of new skills, innovative thinking and talents not only for the existing jobs but also the jobs that are to be created.
2. Mapping of existing skills and their certification.
3. Expansion of youth entrepreneurship education and capacity through forging strong partnership between educational institutions, business and other community organisations and set national standards for it.
4. Role of coordination relating to skill development.
5. Doing market research and devising training curriculum in important sectors.

6. Industry-Institute linkage.
7. Bringing Public Private Partnership element in this activity-partnership with the industry who need the skilled manpower.
8. Making broad policies for all other Ministries/Departments with regard to market requirements and skill development.
9. To frame policies for soft skills.
10. Computer Education.
11. Academic equivalence of skill sets.
12. Work relating to Industrial Training Institutes.
13. (i) National Skill Development Corporation.  
(ii) National Skill Development Agency.  
(iii) National Skill Development Trust.

**B. DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS (YUVAK KARYAKRAM VIBHAG)**

1. Youth Affairs/Youth Policy.
2. Nehru Yuva Kendra Sangathan.
3. National Reconstruction Corps Scheme.
4. Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development.
5. Scheme for assistance to Rural Youth and Sports Clubs.
6. National Commission for Youth.
7. National Service Scheme.
8. Voluntary Youth Organisations including financial assistance to them.
9. National Service Volunteer Scheme.
10. Commonwealth Youth Programme and United Nations Volunteers.
11. Youth welfare activities, youth festivals, work camp, etc.
12. Boy-scouts and girl-guides.
13. Youth Hostels.
14. National Youth Awards.
15. Residual work of the erstwhile National Discipline Scheme.
16. Exchange of Youth Delegation with foreign countries.

**C. DEPARTMENT OF SPORTS (KHEL VIBHAG)**

1. Sports Policy.
2. Sports and Games.
3. National Welfare Fund for Sportsmen.
4. Netaji Subhas National Institute of Sports.
5. Sports Authority of India.
6. Matters relating to the Indian Olympic Association and National Sports Federations.
7. Participation of Indian sports teams in tournaments abroad and participation of foreign sports teams in international tournaments in India.
8. National Sports Awards including Arjuna Awards.

9. Sports Scholarships.
  10. Exchange of Sports persons, experts and teams with foreign countries.
  11. Sports infrastructure including financial assistance for creation and development of such infrastructure.
  12. Financial assistance for coaching, tournaments, equipment, etc.
  13. Sports matters relating to Union territories.
  14. Physical Education.”;
- (f) under the heading “MINISTRY OF STEEL (ISPAT MANTRALAYA)”, in entry 1, the words “including ship breaking” shall be omitted;
- (g) for the heading “MINISTRY OF WATER RESOURCES (JAL SANSADHAN MANTRALAYA)”, the following heading shall be substituted, namely,-  
“MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (JAL SANSADHAN, NADI VIKAS AUR GANGA SANRAKSHAN MANTRALAYA)”;
- (h) under the heading “MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (JAL SANSADHAN, NADI VIKAS AUR GANGA SANRAKSHAN MANTRALAYA)”, as so substituted,-
- (i) in entry 1, after the words “diverse uses of water” the words “and interlinking of rivers”, shall be added;
  - (ii) after the entry 30, the following entries shall be inserted, namely,-  
“30A. National Ganga River Basin Authority including the Mission Directorate, National Mission for Clean Ganga and other related matters of Ganga Rejuvenation.  
30B. Conservation, development, management and abatement of pollution in river Ganga and its tributaries.”;
- (i) the heading “ MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (YUVAK KARYAKRAM AUR KHEL MANTRALAYA)” and sub-headings thereunder and entries relating thereto shall be omitted.”.

PRANAB MUKHERJEE

President

[F. No. 1/21/9/2014-Cab.]

SANJUKTA RAY, Director